# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

1. अपील संख्या–1971/2011/भीलवाड़ा.
2. अपील संख्या–1973/2011/भीलवाड़ा.
3. अपील संख्या–1974/2011/भीलवाड़ा.
4. अपील संख्या–1975/2011/भीलवाड़ा.

**मैसर्स रमेशचंद खटीक, भीलवाड़ा** ....अपीलार्थी (अपील संख्या–1971/11).
**मैसर्स चांदमल खटीक, भीलवाड़ा** ....अपीलार्थी (अपील संख्या–1973/11).
**मैसर्स भगवती लाल विश्नोई, भीलवाड़ा** ....अपीलार्थी (अपील संख्या–1974/11).
**मैसर्स अशोक कुमार भारद्वाज, भीलवाड़ा** ....अपीलार्थी (अपील संख्या–1975/11).

**बनाम**

1. उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, भीलवाड़ा.
2. वाणि. कर अधि, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा. ....प्रत्यर्थीगण सभी अपीलों में.

**एकलपीठ**

**श्री के. एल. जैन, सदस्य**

**उपस्थित : :**

कोई नहीं .....अपीलार्थीगण की ओर से.
श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थीगण (राजस्व) की ओर से.

**निर्णय दिनांक : 21/02/2017**

## निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारीगण ने ये अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, भीलवाड़ा (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 82 के अंन्तर्गत पारित किये गये आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत की हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी की आलौच्य अवधि वर्ष 2008–09 के लिये वेट अधिनियम की धारा 24 के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण कतिपय बिन्दुओं पर कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये हैं, जिनसे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

| क्र. सं. | अपील संख्या | अपीलीय आदेश संख्या | अपीलीय आदेश दिनांक | कर निर्धारण आदेश दिनांक | कर निर्धारण वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 1971/2011 | 155/वैट/10–11 | 02.08.2011 | 01.06.2010 | 2008–09 |
| 2. | 1973/2011 | 160/वैट/10–11 | 28.07.2011 | 01.06.2010 | 2008–09 |
| 3. | 1974/2011 | 158/वैट/10–11 | 28.07.2011 | 02.06.2010 | 2008–09 |
| 4. | 1975/2011 | 153/वैट/10–11 | 28.07.2011 | 01.06.2010 | 2008–09 |

2. इन सभी प्रकरणों में विवादित बिन्दु समान निहित होने से सभी अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

**लगातार.....2**

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि इन प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कार्य संविदा के दौरान की गई खरीद एवं उस माल का संविदा कार्यों में निष्पादन के दौरान हस्तांतरण को कम मानते हुये बिना किसी आधार के एवं तथ्यों को वर्णित किये बिना वृद्धि करते हुये इस पर अतिरिक्त करारोपण किया गया है, जिसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने पर समस्त मामलों में प्रकरण पुनः कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर पुनः सुनवाई का मौका देकर आदेश पारित करने हेतु निर्देश दिये गये है।

4. इसके अलावा रिवर सेंड पर किये गये करारोपण में 4% के स्थान पर 12.5% से करारोपण किया गया था, जिसे अपास्त कर इस पर 4% से करारोपण करने का निर्देश देकर इस बिन्दु पर भी प्रकरणों को प्रतिप्रेषित किया गया।

5. प्रत्येक प्रकरण में विवरण पत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के आधार पर अधिनियम की धारा 58 के तहत रूपये 2000/— की शास्ति आरोपित की गई जो बिना किसी सुनवाई के आरोपित करने से सुनवाई के आदेश के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किये गये। इस तरह सभी बिन्दुओं पर प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने के आदेश से अंसतुष्ट होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये अपीलें कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

6. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित प्रतिवेदन भिजवाते हुये कथन किया कि उनकी अपीलों का निस्तारण प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार कर दिया जावे। विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन किया गया, लिखित बहस में कथन किया गया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरणों को पुनः विशिष्ट नोटिस देकर सुनवाई करने के लिए प्रतिप्रेषित करने के आदेश दिये है वे विधिसम्मत नहीं है क्योंकि वर्ष 2008—09 के कर निर्धारण किये जाने की अंतिम समय सीमा 31.03.2011 ही थी अतः नोटिस दिये जाने का आदेश अस्तित्व में नहीं रहता है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय **वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत बारां बनाम केसरीमल रतनलाल छबडा निर्णय दिनांक 25.11.2002 5 Tax Update Page 46** का हवाला दिया जिसके अन्तर्गत कर निर्धारण करने की अवधि के पश्चात नोटिस दिये जाने के लिये प्रकरण प्रतिप्रेषित नहीं किये जाने का निर्णय बताया। लिखित बहस में यह भी कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अतिरिक्त कर देयता निर्धारित करने से पूर्व कोई नोटिस जारी नहीं किया गया एवं बिना किसी आधार के एवं सुनवाई के जो करारोपण किया गया है वह अपास्त योग्य है। सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने की पुष्टि कर निर्धारण आदेश से होती है जिसमें कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है।

लगातार.....3

7. विद्वान अभिभाषक ने आगे कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने रिवर सेंड पर 4% से कर आरोपित करने के लिए प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया है परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः 12.5% कर लगा दिया जाएगा। अतः इस अपीलीय आदेश को निरस्त कर सीधे 4% से स्टोन व बजरी पर कर लगाने का आदेश पारित किया जावे।

8. लिखित बहस में धारा 58 की शास्ति को बिना सुनवाई के आरोपित करने के मामले में अपीलीय अधिकारी द्वारा पुनः सुनवाई के अवसर में दिया गया आदेश विधिविरुद्ध है एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश **116 एस.टी.सी. 606** का हवाला देते हुये इसे निरस्त करने का निवेदन किया गया।

9. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेशों को उचित बताते हुय प्रकरणों को कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करने में कोई विधिक भूल नहीं बताया, एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

10. उभयपक्षीय बहस सुनी गई व रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से पाया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सभी ठेकेदारों के विरुद्ध कर निर्धारण आदेश दिनांक 01.06.2010 व 02.06.2010 एक प्रोफॉर्मा में पारित किये गये जिसमें माल की खरीदी व बिक्री को बढाते हुये उस पर कर आरोपित कर दिया गया, परन्तु बढ़ाने के पीछे कोई कारण या तर्क नहीं लिखा है बल्कि बिना कोई आधार मांग सृजित करने के लिये अधिक राशि अंकित कर दी गई है। कर निर्धारण पत्रावली के अवलोकन पर पाया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विधिक प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए बिना किसी नोटिस जारी किये एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना एक जैसे आदेश पारित किये गये हैं जो पूर्णतया अनुचित एवं उदासीनता से किया गया कार्य है। आदेश पत्र में सीधे कर निर्धारण किये जाने के आदेश दिनांक को यह अंकित किया है कि लेखा तालिका एवं रेकार्ड प्रस्तुत किया गया जिनकी बाद जांच कर निर्धारण पारित किया जाता है। इस तरह कर निर्धारण अधिकारी द्वारा लेखों में किसी भी तरह की अनियमितता होने के आधार बिना ही क्रय—विक्रय में वृद्धि कर दी जिसका उल्लेख कर निर्धारण आदेश में नहीं किया है जिसे माननीय राजस्थान कर बोर्ड के आदेश में अविधिक मानते हुये ऐसे बेवजह की वृद्धि को विधिविरुद्ध माना है। **(ACTO WARD-IV, BARMER V/s SUKHDEV BOHRA 40 TAX UPDATE PAGE 100)** अतः सभी प्रकरणों में की गई विक्रय वृद्धि को अपास्त किया जाता है।

**लगातार.....4**

11. अपीलीय अधिकारी द्वारा रिवर सेन्ड पर 4% के करारोपण करने के दिये गये आदेश यथावत रखते हुये कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वे बजरी पर तत्समय कर दर अनुसार 4% करारोपण की पुनः गणना करें।

12. सभी प्रकरणों में अधिनियम की धारा 58 के तहत जो शास्ति आरोपित की गई है वे किसी सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना की गई है जो कि विधिक प्रावधानों के विरुद्ध है क्योंकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्येक विवरण पत्र के लिये रुपये 500/— एवं चारों विवरण पत्रों की अनिवार्यता मानते हुये रुपये 2000/— की शास्ति आरोपित की है जो त्रुटिपूर्ण है क्योंकि ठेकेदार व्यवसायी मासिक करदाता की श्रेणी में नहीं आते हैं। प्रकरणों में बिना सुनवाई किये जो शास्ति आरोपित की गई है वह अपास्त की जाती है। उल्लेखनीय है कि अधिनियम की धारा 66 के तहत दो वर्ष के पश्चात शास्ति का आरोपण किया जाना वर्जित रखा गया है एवं अब प्रतिप्रेषण आदेश के जरिये इस अवधि को बढ़ाया जाना विधि एवं न्यायसम्मत नहीं है।

13. उपरोक्तानुसार बिना किसी आधार के क्रय—विक्रय में की गई वृद्धि पर आरोपित कर, अनुवर्ती ब्याज तथा धारा 58 की शास्ति को अपास्त किया जाता है तथा बजरी पर करदेयता के बिन्दु पर 4% की दर से कर गणना हेतु अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषित आदेश की पुष्टि की जाती है।

14. निर्णय सुनाया गया।

**( के. एल. जैन )**
**सदस्य**